न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
256 / 2023 प्रा0 पत्र	25.07.2023	16.07.2024

उनवान

1. श्रीमती गौरी पत्नी श्री बद्री लाल जाट, निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
2. जगदीश पुत्र श्री बद्री लाल जाट, निवासी–- दाथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. पीरू सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह राजपूत निवासी दांथल तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)
4. पदमा पुत्री श्री गजराज सिंह राजपूत, निवासी दांथल तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)
5. प्रकाश कंवर पत्नी श्री गजराज सिंह राजपूत, निवासी– दाथल तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)
6. पिंकी कंवर पुत्री श्री गजराज सिंह राजपूत, निवासी–- दांथल तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)
7. भंवर कंवर पुत्री श्री गजराज सिंह राजपूत, निवासी– दाथल तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)
8. मधु कंवर पुत्री श्री गजराज सिंह राजपूत, निवासी दांथल तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. अब्दुल वाली उर्फ मुन्ना पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक निवासी मस्जिद के पास, धानमण्डी, भीलवाड़ा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. केशर जांगिड़ पत्नी श्री रतन जांगिड़ निवासी– म.नं. 5 पुखराज सिटी कॉलोनी, 80 फीट रोड़, रतलाम (मध्य प्रदेश) हाल निवासी दांथल तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. रतन जांगिड़ पुत्र श्री बंशी लाल जांगिड़ निवासी– राठौड़ रेस्टोरेंट के पीछे, रतलाम (मध्य प्रदेश) हाल निवासी– दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. मदन पुत्र श्री प्यारचन्द गाडरी, निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. गोपाल लाल पुत्र श्री देवी लाल जाट, निवासी दाथल तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
6. रतन लाल पुत्र श्री देवी लाल जाट, निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. लादू पत्नी स्व० श्री देवी लाल जाट, निवासी– दाथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. श्याम लाल पुत्र श्री देवी लाल जाट, निवासी दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—— विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थी श्री पृथ्वीराज चौधरी

2– विपक्षीगण संख्या 01, 05 से लगायत 08 उपस्थित।

3– विपक्षीगण संख्या 02 से लगायत 04 अनुपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 16.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1803/1, 1782, 1784, 1783, 1769 है। जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि गै.मु. रास्ता 1758 से होकर आराजी नम्बर 1812 मे से होकर आराजी नमबर 1809 की दक्षिणी पूर्वी मेड़ के सहारे होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1777 के दक्षिण मेड के सहारे आराजी नम्बर 1776/4 की दक्षिणी मेड के सहारे होकर आराजी नम्बर 1780 1781 1803/2 की मेड़ के सहारे होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1782, 1803/1, 1769, 1780,1781 मे आते जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। उक्त रास्ता मौके पर गांडी गडार बना हुआ है।

प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन विपक्षीगण की नियत मे फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते मे अवरोध पैदा करने लग गये। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षीगण को दिनांक 02 जुलाई 2023 को रास्तें में अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर पर इंकार हो गये।

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251-ए की उपधारा (1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद दांथल पटवार हल्का दांथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) की आराजी नम्बर 1803/1, 1782, 1784, 1783, 1769 में आने जाने हेतु जो कि एकमात्र रास्ता जो कि गै.मु. रास्ता 1758 से होकर आराजी नम्बर 1812 मे से होकर आराजी नमबर 1809 की दक्षिणी पूर्वी मेड़ के सहारे होकर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1777 के दक्षिण मेड के सहारे आराजी नम्बर 1776/4 की दक्षिणी मेड के सहारे होकर आराजी नम्बर 1780 1781 1803/2 की मेड़ के सहार के होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी नम्बर 1803/1, 1782, 1784, 1783, 1769 मे आते जाते, को रास्ता से 20 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षीगण संख्या 01, 05 से लगायत 08 उपस्थित। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र कमांक 287 दिनांक 17.05.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मौके पर सभी पक्षकारान को बुलाकर सहमति बनाने का प्रयास किया गया किन्तु पक्षकार सहमत नहीं हुये। नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। जिसमें प्रस्तावित रास्तें को लाल स्याही से अंकित किया गया है। विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1781 में से 0.0330 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1780 में से 0.0270 हैक्टयर भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित की गई है। विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 1809 में से 0.0420 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1776/4 में से 0.0270 हैक्टयर भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित की गई है। विपक्षी संख्या 03 एवं विपक्षी संख्या 04 की संयुक्त आराजी नम्बर 1777 में से 0.0480 हैक्टयर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार विपक्षीगण की आराजियात में 295 मीटर लम्बाई में एवं 06 मीटर चौडाई में कुल 0.01770 हैक्टयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 11,40,825 /- रूपये की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षेत्रफल की 4,03,855 /- डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

विपक्षी संख्या 02, 03, 04, उपस्थित नहीं है। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर०टी०ए० का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1803/1, 1782, 1784, 1783, 1769 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1781 में से 0.0330 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1780 में से 0.0270 हैक्टयर भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित की गई है। विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 1809 में से 0.0420 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1776/4 में से 0.0270 हैक्टयर भूमि एवं विपक्षी संख्या 06 एवं विपक्षी संख्या 04 की संयुक्त आराजी नम्बर 1777 में से 0.0480 हैक्टयर भूमि भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी.दर राशि– 11,40,825 /– रूपये की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 4,03,855 /– रूपये बनती है जो विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1777, 1776/4, 1780, 1781, 1803/2 जो अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 04 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 04 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाडा